न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-495RAAJodhpur2022-158RTA223 Seetaram ors Vs Aasusingh etc

01. सीताराम शर्मा पुत्र कानाराम जाति शर्मा, निवासी- गुवाडी राधाकिशन पुरा तहसील आमेर, जिला जयपुर।
02. मांगीलाल पुत्र सुण्डाराम जाति शर्मा, निवासी- कानाराम की ढाणी, नान्दरी तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।
03. चंदाराम पुत्र मुकदरा शर्मा, जाति शर्मा, निवासी- मेहतो की ढाणी, पुनाना तहसील आमेर, जिला जयपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. आसुसिंह पुत्र जसा उर्फ जसवंत सिंह
2. पपूसिंह पुत्र जसा उर्फ जसवंत सिंह
3. भगवत उर्फ भगसिंह पुत्र चुना
4. भंवर उर्फ भंवरसिंह पुत्र चुना
5. मालीकंवर पत्नी जसा उर्फ जसवंत
6. सागा उर्फ सांगसिंह पुत्र चुना
7. हनुमानसिंह पुत्र जसा उर्फ जसवंतसिंह
   सभी जातियान् दरोगा, निवासी- ग्राम चाखू, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
8. रतनाराम पुत्र परमाराम
9. बगाराम पुत्र परमाराम
10. चुनाराम पुत्र परमाराम
11. श्रवणराम पुत्र किशनाराम
12. पदमाराम पुत्र किशनाराम
    सभी जातियान् जाट, निवासीगण- कलाथल(चाखु) तहसील फलोदी, जिला जोधपुर
13. भगवान स्वरूप पुत्र भौरेलाल, जाति राजपूत, निवासी- 176/31 करोली कुण्ड तहसील अलवर, जिला अलवर राजस्थान।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

14. जी.टी.वी. डिसेंट सिटी प्राईवेट लिमिटेड हाउस नं. जी 128 ब्लॉक ए खसरा नं. 22/11/1 लक्ष्मी पार्क नागोलाई दिल्ली जरिये प्रोपेराईटर नारायणलाल पुत्र मौटाजी जाति चौधरी, निवासी- नरसाणा तहसील व जिला जोधपुर।
15. अजीज पुत्र फकीर मोहम्मद जाति तेली मुसलमान, निवासी- अस्पताल रोड़ पीपाड़ शहर।
16. राजु पुत्र गुलाब नबी जाति तेली मुसलमान, निवासी खेजड़ला रोड़ पीपाड़ शहर, तहसील बिलाड़ा जोधपुर।
17. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार बाप।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 फरवरी 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप राजस्व मूल वाद संख्या 46/2021 जसा बनाम भगवान इत्यादि

उपस्थित-

श्री शैतानराम चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री रोशनलाल,, अधिवक्ता- रेस्पो. संख्या एक से सात
श्री नाहरसिंह सोलंकी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या आठ से बारह
श्री ओमप्रकाश डारा, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या पन्द्रह व सोलह
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या सत्रह

नि र्ण य

दिनांक : 03 अगस्त 2023

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 46/2021 जसा बनाम भगवान इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 फरवरी 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 27 सितंबर 2022 को प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दिये जाने का निवेदन किया है। अपीलांट्स द्वारा अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से सात द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 92-ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 197 रकबा 107 बीघा 14 बिस्वा ग्राम कलाथल(चाखू) तहसील बाप के संबंध में विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया, जिसमें अपीलांट्स को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 28 फरवरी 2022 को वाद स्वीकार कर निर्णय एवं डिक्री जारी कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट संख्या एक से तेरह की मिलीभगत से दावा अधीनस्थ न्यायालय से निर्णित करवाया गया है, क्योंकि उक्त जमीन पर वर्ष 1975 से 2008 तक 33 वर्ष रेस्पोडेंट संख्या सात से बारह का कब्जा काश्त था और राजस्व रेकर्ड में रेस्पोडेंट संख्या सात से बारह का नाम दर्ज था। उसके पश्चात रेस्पोडेंट संख्या तेरह द्वारा उक्त जमीन वर्ष 2008 में खरीदने के पश्चात दावा पेश किया गया। दावा लंबित रहने के दौरान रेस्पोडेंट संख्या आठ से तेरह द्वारा जानबूझकर उचित प्रतिवाद नही किया, क्योंकि रेस्पोडेंट संख्या आठ से तेरह तक का उक्त किसी प्रकार का निहितांश नहीं था, क्योंकि उनके द्वारा जमीन बैचान कर दी गई। रेस्पोडेंट संख्या एक से तेरह के मध्य उक्त दावा अधीनस्थ न्यायालय में वर्ष 2008 से लंबित चल रहा था। इसकी जानकारी जानबूझ कर रेस्पोडेंट

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

संख्या एक से तेरह द्वारा संबंधित पटवारी एवं उप पंजीयन कार्यालय को नहीं दी गई, ताकि सोची समझी साजिश के तहत उक्त जमीन का बेचाननामा आगे से आगे निष्पादित होता गया और नामांतरकरण भी राजस्व रेकर्ड में दर्ज होता गया। वर्ष 2008 के पश्चात उक्त जमीन के संबंध में बैचाननामा निष्पादित हुआ था, उसके संबंध में रेस्पोडेंट संख्या एक से सात तक को पूर्ण जानकारी थी और राजस्व रेकर्ड में जो परिवर्तन हुए उसकी जानकारी भी थी, लेकिन जानबूझकर इस तथ्य से श्रीमान अधीनस्थ न्यायालय को अवगत नहीं करवाया गया। इस कारण आलौच्य निर्णय एंव डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जब निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया, उस समय अपीलार्थीगण को पक्षकार नहीं बनाया गया, जबकि उक्त जमीन वर्तमान समय अपीलार्थीगण के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है और उक्त दावा में अपीलार्थीगण आवश्यक एवं अनिवार्य पक्षकार है, श्रीमान् अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से सबसे अधिक अपीलार्थीगण ही प्रभावित होते हैं। अतः अपीलार्थीगण को आवश्यक पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय के वर्तमान आदेश के अनुसार भी कुल विवादित जमीन में से 1/3 हिस्से की जमीन पर अपीलार्थीगण का हक एवं हिस्सा माना गया है। उक्त हक एवं हिस्से के कारण अपीलार्थीगण के हित सर्वाधिक प्रभावित होते है। अतः न्याय हित में अपीलार्थीगण को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देना न्याय संगत होगा और अपीलार्थीगण सद्भाविक क्रेता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वो वर्ष 2008 के पश्चात उक्त जमीन के संबंध में निष्पादित बैचाननामा एवं नामांतरकरण के जानकारी के अभाव में पारित किया गया है। यदि अधीनस्थ न्यायालय को उक्त बेचाननामा एवं नामांतरकरण की जानकारी होती तो अपीलार्थीगण को भी आवश्यक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पक्षकार बनाया जाता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, विधिसंगत नहीं है, क्योकि उक्त निर्णय से पांच पंजीकृत बेचाननामे निरस्त हो जाते है, जिनका कोई महत्व नहीं रह जाता, जबकि किसी भी रजिस्टर्ड दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार केवल मात्र सिविल न्यायालय को है न कि किसी राजस्व न्यायालय को।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट्स वादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट्स को पक्षकार संयोजित किये बिना तथा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जिससे अपीलांट्स के हित प्रभावित हुए है। इसलिए अपीलांट्स अपील प्रस्तुत करने के अधिकारी है। हाल ही में अपीलांट्स द्वारा ऑनलाईन जमाबंदी का अवलोकन किया तो ज्ञात हुआ कि अपीलार्थीगण का नामांतरकरण निरस्त बताया जा रहा है। जब संबंधित पटवारी से जानकारी प्राप्त की तो उसे दावे में पारित निर्णय एंव डिक्री की जानकारी दी। तब अपीलांट्स ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की प्रति प्राप्त करने हेतु विचारण न्यायालय में आवेदन किया एवं नकल प्राप्त की, तब अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई। अपीलांट्स द्वारा जानकारी से अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी बाबत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति स्वीकार किया जावे एवं अपीलांट्स को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाकर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अपील अंदर म्याद शुमार की जावे तथा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 46/2021 जसा बनाम भगवान इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 फरवरी 2022 को खारिज फरमाया जावे एवं मामला विधिनुसार निस्तारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे।

जवाब में वकील रेस्पोडेंट्स संख्या एक से सात ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या एक से सात द्वारा अपनी पुश्तैनी आराजी में निहित खातेदारी अधिकारो की घोषणा बाबत दावा प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित की है। रेस्पो. द्वारा तत्समय राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदारान् को पक्षकार संयोजित किया तथा उन पर सम्यक तामील करवायी। अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त आराजी वाद के विचाराधीन रहने के दौरान खरीदी है, जिससे अपीलांट्स के पक्ष में निष्पादित बेचाननामे शुरू से ही शून्य है। अपीलांट्स विचारण न्यायालय में पक्षकार नहीं होने से कानूनन उन्हें अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है। अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील विलंब से पेश की गई है। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब का कोई संतोषजनक कारण नहीं बतलाया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की पालना में राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो चुका है। इसलिए अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन, अनुमति बाधित एवं म्याद बाधित होने से होने से खारिज फरमायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रेस्पोडेंट संख्या आठ से बारह एवं पन्द्रह व सोलह के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का समर्थन किया एवं वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

राजकीय अधिवक्ता प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख जमाबंदी संवतः 2076-2079 ग्राम कलाथल तहसील बाप के खाता संख्या 52 नया एवं पुराना खाता संख्या 57 के मुताबिक अपीलांट्स वादग्रस्त आराजीयात खसरा नं. 197 रकबा 9.3401 हैक्टेयर एवं खसरा नं. 197/1 रकबा 8.0937 हैक्टेयर के रेकर्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज है। विचारण न्यायालय के समक्ष दावा पुनः नंबर पर लिये के दौरान वादग्रस्त आराजीयात के तत्कालीन खातेदारान्/अपीलांट्स को पक्षकार संयोजित किये बिना तथा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण को एकपक्षीय सुनकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये अपीलांट्स के खातेदारी अधिकारों को खत्म किया जाना पाया जाता है। ऐसी परिस्थिति में अपीलांट्स मामलें आवश्यक, हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा अपीलांट्स को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अपीलांट्स को विचारण न्यायालय में पक्षकार संयोजित नहीं किये जाने तथा उन्हे सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किये जाने से उन्हें अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी समय पर नहीं मिलना लाजमी है। लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाती है।

विचारण न्यायालय में हस्तगत प्रकरण में आवश्यक पक्षकारान् को पक्षकार संयोजित किये बिना, उभय पक्ष को जवाब प्रस्तुति एवं सुनवाई का अवसर, विवाधकों की विरंचना, एवं साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री विधिसम्मत नहीं होने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 46/2021 जसा बनाम भगवान इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 फरवरी 2022 को निरस्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मामले में सभी आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकारान् को पक्षकार संयोजित करते हुए तथा उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का विधिसम्मत निस्तारण करे। तब तक उभय पक्ष वादग्रस्त आराजीयात का <u>बेचान/हस्तांतरण</u> नहीं करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13.8.2023

{मंगलाराम पूनिया}
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर